प्रेस नोट **दिनांक 16.11.2025**

03शातिर चोर गिरफ्तर कब्जे से चोरी के 03 अदद बैटरी बरामद –

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ के निर्देशन में अपराध/अपराधियो कें विरूद्ध चलाय जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्वेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी मुहम्मदाबाद के कुशल नेतृत्व में थाना रानीपुर पुलिस द्वारा दिनांक 15.11.2025 को देखभाल क्षेत्र/चेकिंग दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर एकडंगा व दौलसे जाने वाले मार्ग के पास से मु0अ0सं0 194/2025 धारा 303(2), 317(2) बी0एन0एस0 से सम्बन्धित 03 नफर अभियुक्त 1.अभिषेक राजभर पुत्र पप्पू राजभर 2. किशन सोनकर पुत्र लालमनि सोनकर 3. रवि साहनी पुत्र जयप्रकाश साहनी निवासीगण खुरहट थाना रानीपुर जनपद मऊ के कब्जे से 02 अदद बैटरी बरामद कर गिरफ्तार किया गया पूछताछ के दौरान उक्त अभियुक्तगण द्वारा जुर्म कबूल किया गया कड़ाई से पूछने पर बताये कि हमलोग दिनांक 10.10.2025 की रात्रि मे खुरहट रेलवे स्टेशन के पास से ट्रक से व खुरहट बाजार मे खड़े टेम्पो से बैटरी चोरी किये थे हम लोग इसे बेचने निकले थे कि आप लोगो ने पकड़ लिया । मौके से सभी चोरी के सामान को बरामद कर गिरफ्तार करते हुए चालान न्यायलय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त –

1. अभिषेक राजभर पुत्र पप्पू राजभर
2. किशन सोनकर पुत्र लालमनि सोनकर
3. रवि साहनी पुत्र जयप्रकाश साहनी निवासीगण खुरहट थाना रानीपुर जनपद मऊ

बरामदगी-

1. 03 अदद चोरी की बैटरी।

गिरफ्तार करने वाले टीम –

1. उ0नि0 ओम सिंह थाना रानीपुर जनपद मऊ।
2. उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार शुक्ल, थाना रानीपुर जनपद मऊ।
3. उ0 नि0 रविन्द्र यादव, थाना रानीपुर जनपद मऊ।
4. हे0कां0 मिथिलेश सिंह, थाना रानीपुर जनपद मऊ।

5. कां0 आलोक सिंह थाना रानीपुर जनपद मऊ।
6. का0 रामप्रसाद थाना रानीपुर जनपद मऊ।
7. चालक हे0 का0 शिशिर सिंह थाना रानीपुर जनपद मऊ।

धर्मान्तरण और अपहरण मामले में वाँछित 02 अभियुक्त गिरफ्ततार -

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ के निर्देशन में अपराध/अपराधियो के विरूद्ध चलाय जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्वेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री अंजनी कुमार पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा दिनांक 15.11.2025 को वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु अभियान में प्रतिभाग कर सतत सुरागस्सी पतारसी की जा रही थी। जिस दोरान मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमा अपराध सं0 395/25 धारा 3(5), 137(2), 118(1), 304(2), 333, 324(2) 351(2) बी.एन.एस. 3/5(1) उ.प्र. धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ में वांछित अभियुक्त (1) 1. फिरोज अहमद पुत्र रख० निजामुद्दीन निवासी मुहल्ला मुरादाबाद धाना अकबरपुर जनपद अम्बेठकर नगर (2) अभियुक्ता सुनेना परवीन पुत्री फिरोज अहमद निवासी मुहल्ला मुरादाबाद थाना अकबरपुर जनपद अम्बेडकर नगर की प्राप्त सूचना पर तत्परता से कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की निशानदेही पर जनपद अम्बेडकरनगर पहुंच कर तहसील तिराहे से समय लगभग 18.40 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अग्रिग वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

घटनाक्रम का विवरण- वादिनी रिकी सिंह पत्नी वीर बहादुर सिंह, निवासी महावीर नगर कॉलोनी, मऊ, ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें आरोप लगाया गया कि उनके नाबालिग बेटे विशाल सिंह को सुनैना परवीन ने प्रेमजाल में फंसाया और बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गई, जहाँ सुनैना और उसके परिवार (फिरोज अहमद, राजू शेख, समीर शेख, ताहिर, मौलाना सलमान, नेहा शेख) ने विशाल का जबरन खतना कराकर धर्मांतरण कराया और शादी की; इसके बाद, दिनांक 05.08.2025 को इन सभी अभियुक्तों ने वादिनी के घर में घुसकर तोड़फोड़ की, चाकू लहराते हुए धमकी दी, और राजू शेख ने वादिनी के गले से सोने की चेन खींच ली है जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा अन्तर्गत धारा 175(3) बी. एन. एस.एस. में अभियोग पंजीकृत करने का आदेश दिया है जिसके आधार पर ही दिनांक 12.11.2025 को मुकदमा अपराध सं0 395/25 धारा 3(5), 137(2),118(1), 304(2), 333, 324(2), 351(2) बी.एन.एस. 3/5 (1) उ.प्र. धर्म संपरिवर्तन

प्रतिषेध अधिनियम 2021 थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ पर पंजीकृत करते हुए वांछित अभियुक्तगण की सतत सुरागरसी पतारसी की जा रही थी।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मुकदमा अपराध सं0 395/25 धारा 3(5), 137(2),118(1), 304(2), 333, 324(2), 351(2) बी.एन.एस. 3/5 (1) उ.प्र. धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. अभियुक्त फिरोज अहमद पुत्र स्व० निजामुद्दीन निवासी मुहल्ला मुरादाबाद थाना अकबरपुर जनपद अम्बेडकर नगर हुलिया आँख, कान, नाक कद ओसत इकहरा जिस्म साँवला रंग उम्र करीब 46 वर्ष
2. अभियुक्ता सुनेना परवीन पुत्री फिरोज अहमद निवासी मुहल्ला मुरादाबाद थाना अकबरपुर जनपद अम्बेडकर नगर उम्र करीब 24 वर्ष

गिरफ्तार कर्ता पुलिस टीम –

1. प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह धाना कोतवाली नगर जनपद मऊ।
2. निरीक्षक फूलचन्द्र यादव, निरीक्षक अपराध थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ।
3. उ.नि. सरफराज खान धाना कोतवाली नगर जनपद मऊ।
4. हे.का. रितेश राय थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ।
5. म.का. किरन शुक्ला थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ।

हत्या से संबंधित अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल एक अदद बांस की लाठी व उससे टूटा हुआ एक अदद फट्टी व लाठी के ऊपरी हिस्से से अलग हुआ एक अदद लोहे का सरिया मृतक का मोबाइल फोन बरामद -

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ के निर्देशन में अपराध/अपराधियो के विरूद्ध चलाय जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्वेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री अंजनी कुमार पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में थाना सरायलखन्सी पुलिस टीम द्वारा दिनांक 16.11.2025 को अश्वनी सिंह के खेत में बने ट्यूबेल के पास से मु0अ0सं0 474/2025 धारा 103(1) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त बड़ेलाल गोड़ पुत्र श्रवण गोड़ निवासी ताजोपुर हाथीपुर थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ के कब्जे से आलाकत्ल एक अदद बांस की लाठी व उससे टूटा हुआ एक अदद फट्ठी व लाठी के ऊपरी हिस्से से अलग हुआ एक अदद लोहे का सरिया व मृतक का मोबाइल फोन बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि ग्राम ताजोपुर मे दिनांक 14.11.25 को मछली पकड़ने गये अनिल राजभर उर्फ पिल्लू पुत्र श्रीपत राजभर नि० ताजोपुर थाना सरायलखंसी जनपद मऊ की सिर में मारकर हत्या करके लाश फेक दी गयी थी जिसके सम्बन्ध मे मृतक अनिल राजभर की पत्नी निशा के द्वारा लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 474/2025 धारा 103(1) बीएनएस थाना सरायलखंसी मऊ पंजीकृत किया गया था। मृतक अनिल राजभर उर्फ पिल्लू की हत्या कारित करने वाले अभियुक्त की तलाश व गिरफ्तारी हेतु थाना सरायलखंसी की पुलिस टीम द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा था। कि मुखबिर की सूचना पर 01 नफर अभियुक्त बड़ेलाल गोड़ पुत्र श्रवण गोड़ निवासी ताजोपुर हाथीपुर थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ को ग्राम ताजोपुर मे अश्वनी सिंह के खेत में बने ट्यूबेल से समय करीब 8.30 बजे दिनांक 16.11.25 को अन्तर्गत धारा 103(1), बीएनएस मे गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त बड़ेलाल गोड़ के निशां देही पर ट्यूबेल के पास से ही घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल एक अदद बांस की लाठी व उससे टूटा हुआ एक अदद फट्ठी व लाठी के ऊपरी हिस्से से अलग हुआ एक अदद लोहे का सरिया व मृतक अनिल राजभर का मोबाइल फोन बरामद किया गया। कड़ाई से पूछताछ पर अभियुक्त ने बताया कि साहब मै गांव के पास नाले में मछली पकड़ने के लिये जाल लगाया था, पिछले कुछ दिनों से हमारे ही गांव के अनिल राजभर उर्फ पिल्लू मेरे जाल से मछली पकड़ ले रहे थे। दिनांक 14.11.2025 को रात्रि में अनिल राजभर उर्फ पिल्लू मेरे जाल से मछली पकड़ रहे थे तभी मैने देख लिया था तो मैने मना किया तो वह मुझसे लड़ाई झगड़ा करने लगा तो गुस्से में मैनें हांथ में एक लाठी लिया था जिसके ऊपरी हिस्से में लोहे की धारदार सरिया लगी हुई है उसी से अनिल राजभर उर्फ पिल्लू के सिर पर तीन चार बार मार दिया जिससे अनिल राजभर वहीं खेत के पास गिर गया था। मैं डर गया और उसको वहीं छोड़कर भाग गया था तथा ट्यूबेल में आकर छिप गया था उक्त प्रकरण में धारा 238 (A) बीएनएस की बढ़ोत्तरी कर चालान न्यायालय किया गया।

नाम पता अभियुक्त –

1. बड़ेलाल गोड़ पुत्र श्रवण गोड़ निवासी ताजोपुर हाथीपुर थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ उम्र 25 वर्ष

पंजीकृत अभियोंग-

1. मु0अ0सं0 474/2025 धारा 103(1), 238(A) बीएनएस थाना सरायलखंसी।

बरामदगी-

1. घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल एक अदद बांस की लाठी व उससे टूटा हुआ एक अदद फट्ठी व लाठी के ऊपरी हिस्से से अलग हुआ एक अदद लोहे का सरिया
2. मृतक का मोबाइल फोन।

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम-

1. निरीक्षक घनश्याम यादव थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।
2. उ0नि0 मनोज कुमार सिंह, थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।
3. का0 महेश्वर प्रसाद तिवारी थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।
4. का० रोहित सिंह थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।
5. का० मोहित शर्मा के थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।